न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 4/2018/एलआर

सौरभ पिता सूर्यप्रकाश मालू
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता (प0अ0स0) अजमेर विघुत वितरण निगम लिमिटेड छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी हजला प्रतापगढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर प्रतापगढ़
दिनांक 18.07.2017 क्रमांक/राजस्व/भूआ/2017/1381–86

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक –1

निर्णय दिनांक – 06.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ ने भूमि आंवटन प्रस्ताव जांच की जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया कि मौजा गोमाना तहसील छोटीसादडी के आराजी नम्बर 150 रकबा 0.42 है0 मे से 0.25 है0 भूमि चरनोट भूमि जिसके साथ राजस्व रेकार्ड चैक लिस्ट व चरनोट की क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध नही होने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति चाही जिस पर ग्राम पंचायत ने भी बिना जांच पडताल किये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, व उसी प्रमाण पत्र के आधार पर व उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजीयात मे 0.25 है0 भूमि दीन दयाल ग्राम ज्योती योजना के तहत 33/11 केवी जीएसएस हेतु आराजीयात आंवटित कर दी, जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौजा गोमाना की आराजी नम्बर 150 रकबा 0.42 है0 मे से रकबा 0.25 है0 भूमि राज्य सरकार (ग्रुप)/6 विभाग

के परिपत्र दिनांक 15/06/2011 के अनुक्रम मे राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की धारा 7 के प्रावधानो के अन्तर्गत खारीज कर राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 13/10/2005 के प्रावधान अनुसार भूमि की कीमत व वार्षिक लीज रेन्ट राशि नकद वसूल करते हुए अजमेर विघुत निगम लिमिटेड को 33/11 केवी जी एस एस सब स्टेशन की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आंवटित कर दी गयी, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2. मौजा गोमाना तहसील छोटीसादडी नगरपालिका के पेरीफेरी एरिया मे होकर मौजा गोमाना की आराजी नम्बर 149/2410 रकबा 0.13 है0 भूमि जो चारागाह भूमि से लगी हुयी है। अपीलान्ट ने आवासीय भूमि रूपान्तरण करवाया व 6420 वर्ग फीट भूमि का आवासीय रूपान्तरण नगरपालिका छोटीसादडी द्वारा आदेश जारी किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 31/03/2014 को अपीलान्ट जारी किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे आराजी नम्बर 149/2410 एक आवासीय कॉलोनी होकर नक्शा स्वीकृत किया हुआ है व उक्त कॉलोनी मे आने–जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नम्बर 150 मे अवस्थित है व उक्त आराजी रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग मे आ रही है व कॉलोनी से लगी हुयी है ऐसी स्थिति मे 33/11 केवी जी एस एस हेतु आंवटन के लिए उक्त भूमि उपर्युक्त भूमि नही थी क्योकि 33/11 केवी जीएसएस विघुत वितरण निगम का ऐसा उपक्रम है जिसमे कभी भी कोई हादसा हो सकता है जो आबादी क्षैत्र से दुर होना नितान्त आवश्यक है व उक्त आराजीयात के आस–पास की सभी जमीने खातेदारान ने आवासीय रूपान्तरण करवाकर कॉलोनियो का निर्माण कर लिया है ऐसी स्थिति मे खतरे को देखते हुए उक्त भूमि 33/11 केवी जीएसएस के लिए उपर्युक्त भूमि नही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए बिना मौका मुआयना किये हुए उक्त आराजीयात आंवटन आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। विवादित आराजीयात से अपीलान्ट की आवासीय पट्टेशुदा भूमि लगी हुयी है व पट्टेशुदा भूमि आराजीयात पर विवादित आंवटित आराजीयात रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग मे ली जा रही है जिसको नगरपालिका ने भी वक्त रूपान्तरण रास्ते हेतु दर्शित किया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से अपील अपीलान्ट पेश है फिर भी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से अपील अपीलान्ट धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के साथ पेश है। विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे जो आंवटन आदेश पारित किया गया उक्त आदेश

की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। जानकारी दिनांक 28/01/2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कर्मचारी मौके पर आये व अपनी आंवटित आराजीयात का सीमांकन करने लगे व सीमांकन करते वक्त उक्त आराजीयात अपने विभाग के नाम 33/11 केवी जीएसएस हेतु आंवटित करना बताया तो अपीलान्ट ने दिनांक 29/01/2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 29/01/2018 को प्राप्त हुयी जिससे अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है फिर भी अपील पेश करने मे विलम्ब को विस्तारित फरमाने हेतु प्रार्थनाप पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा गोमाना की आराजी नम्बर 150 रकबा 0.42 है0 मे से रकबा 0.25 है0 भूमि का विवादित आंवटन आदेश निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को चारागाह दर्ज कराने जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया जो कि अपील में उल्लेखित है तथा मांग की गई की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा गोमाना की आराजी नम्बर 150 रकबा 0.42 हेक्टेयर मे से रकबा 0.25 हेक्टेयर भुमि का विवादित आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर पुनः चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे ।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपने आप में स्पष्ट है कि जिसके अनुसार अपीलान्ट को अपनी भुमि में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। उक्त आंवटन 33/11 केवी जीएसएस के लिए जनहित में किया गया है। मौजा गोमाना कि आराजी नम्बर 150 रकबा 0.42 हेक्टेयर में से रकबा 0.25 हेक्टेयर ही आवंटित किया गया है, शेष रकबा अभी भी चारागाह के रूप में उपलब्ध है जिसमें से जाने का रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विधि सम्मत है ऐसी सुरत में अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आवंटन जनहित में है जहां 33/11 केवी जीएसएस का काफी काम हो चुका है तथा विवादग्रस्त खसरे में से आने जाने हेतु अपीलान्ट को रास्ता भी उपलब्ध है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है तथा

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 18.07.2017 को क्रमांक/राजस्व /भूआ / 2017/ 1381–86 जारी आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ